नस्ती प्राप्त हुई। उप नस्ती की प्रतीक्षा में
दिनांक 16/1/19 को पेश हो।

16/1/19 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय
बाहर पधारे है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23/1/19 को पेश हो।

23/1/19 पत्रावली वादी अधिवक्ता के तर्कों पर सुनी
गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा तर्क रखे गये
3 CrPC के तहत प्रस्तुत किया कि वादी पक्षकारों
की मृत्यु हो चुकी है वादी के परिवार को इकट्ठे
होना, एकत्रित व रंगा हिंसक भी जाने वाले
रंगा गवाही करिने वाली दरख्वास्त को इकट्ठे
किसी वकील ने प्रस्तुत किया है कि
तथा राजीनामा प्रस्तुत किया है गांव के सरपंच
आदि ने आकर हमारा राजीनामा करवाया है अब
हम आगे चलाना नहीं चाहते हैं प्रकरण
withdraw किया जावे जिनकी पहचान अधिवक्ता
राजेन्द्र प्रसाद रोहिला तथा गोपाल अधिवक्ता कर
रही गई। प्रकरण इसी तरह पर withdraw किया
जाता है प्रकरण फैसल शुमार होकर खारिज
किया जाकर कार्यवाही नस्ती अभिलेख
हो रहा है।